निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 224/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

मोहन सिंह शेखावत दत्तक पुत्र श्री किशनसिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम सेवापुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री लक्ष्मीकान्त कटारा आर.ए.एस. उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर)
2. भवर सिंह पुत्र शैतान सिंह
3. जगमाल सिंह पुत्र शैतान सिंह
4. राजू कंवर पुत्र शम्भू सिंह
5. नाहर सिंह पुत्र शम्भू सिंह
6. श्रीमती पुष्पा कंवर पत्नी श्री दीप सिंह
7. लोकेश सिंह पुत्र श्री दीप सिंह
8. प्रदीप सिंह पुत्र श्री दीप सिंह
9. नन्द सिंह पुत्र श्री दीप सिंह

   नाबालिग जरिये संरक्षिका माता श्रीमती पुष्पा कंवर पत्नी श्री दीप सिंह

   समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम सेवापुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
10. श्रीमती किरण कंवर पत्नी पाबूदान सिंह
11. श्रीमती सुप्यार कंवर पत्नी श्री शेर सिंह

    समस्त जाति राजपूत, निवासी भनोट, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर ।
12. मांगू सिंह पुत्र नारायण सिंह
13. नानू सिंह पुत्र नारायण सिंह
14. भगवान सिंह पुत्र भूर सिंह
15. सरवण सिंह पुत्र राम सिंह
16. विरेन्द्र सिंह पुत्र राम सिंह
17. पप्पूसिंह पुत्र रामसिंह

    नाबालिग जरिये संरक्षिका माता मु.रामा बाई बेवा राम सिंह
18. मु. रामा बाई बेवा राम सिंह
19. हरि सिंह पुत्र भूर सिंह
20. प्रहलाद सिंह पुत्र माधो सिंह
21. रघुवीर सिंह पुत्र माधो सिंह
22. पप्पू सिह उर्फ महावीर सिंह पुत्र माधो सिंह
23. जयसिंह पुत्र माधो सिंह
24. रामबत्ती पत्नी भगवत सिह
25. रतन सिंह पुत्र भगवत सिह
26. जीवराज सिंह पुत्र भगवत सिंह
27. लक्ष्मी कंवर पुत्री भगवत सिंह

जिला कलक्टर
जयपुर

28. प्रेम कंवर पुत्री भगवत सिंह
29. अमृता कंवर पुत्री भगवत सिंह
    समस्त जाति राजपूत निवासी ढाणी जीराली, ग्राम सेवापुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।
30. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, आमेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) के समक्ष लम्बित वाद संख्या 473/2019 व उनवानी मोहन सिंह बनाम शैतान सिंह व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री राहुल शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री लाल चन्द जाट अप्रार्थी संख्या 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 25 व 26 की ओर से।

निर्णय दिनांक **23**.01.2023

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) के समक्ष वाद संख्या 473/2019 व उनवानी मोहन सिंह बनाम शैतान सिंह व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 25 व 26 की ओर से वकील श्री लालचन्द जाट ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त वाद में दिनांक ..... को प्रार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षण पर जिरह कराने का निवेदन किया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के निवेदन को अस्वीकार करते हुये प्रार्थी की साक्ष्य बिना क्षेत्राधिकार बंद कर पत्रावली में उक्त दिनांक को ही प्रतिवादी का शपथ पत्र ले लिया तथा प्रार्थी को प्रतिवादी से जिरह करने बाबत बिना अवसर के दबाव बनाया, जिस पर प्रार्थी द्वारा कई बार निवेदन करने पर प्रार्थी को जिरह हेतु अवसर दिया गया। उक्त घटना क्रम के पश्चात प्रार्थी द्वारा प्रार्थी की साक्ष्य बंद करने के अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष निगरानी/टीए संख्या 5052/2019 जिला जयपुर व उनवानी मोहन सिंह बनाम भंवर सिंह व अन्य के द्वारा चुनौती दी गई जिसमें जिरह को खोल दिया गया है। प्रार्थी ने

जिला कलक्टर
जयपुर

कई बार निवेदन करने के बाद भी माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दक्षिण मु. जयपुर के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थी को प्रकरण में अन्तिम बहस करने बाबत दबाव बनाया गया तथा प्रार्थी को एलानियां कहा गया कि यदि आगामी तारीख पेशी पर आपके द्वारा अन्तिम बहस नहीं की गई तो, मैं प्रकरण का निस्तारण आपके विरूद्व कर दूंगा। उक्त कृत्य से ऐसा प्रतीत होता है कि पीठासीन अधिकारी उक्त प्रकरण में प्रार्थी का पक्ष सुनना ही नहीं चाहते है। इस कारण उक्त प्रकरण को येनकेन प्रकारेण निस्तारित करने पर आमदा है जिससे कि प्रार्थी को अन्देशा है कि उक्त न्यायालय से प्रार्थी को उचित पारदर्शी व निष्पक्ष न्याय प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसलिए यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अतः उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 25 व 26 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत न्यायिक प्रकिया का पालन करते हुये सुनवाई की जा रही है। प्रार्थी ने प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मन्शा से गलत तथ्यों के आधार पर आरोप लगाते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के पृष्ठ संख्या 4 पर बिन्दू संख्या 2 में दिनांक ही लिखा हुआ है उसके आगे दिनांक अंकित नही की गई है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मुन्तिकिल प्रार्थना पत्र में जो तथ्य अंकित किये गये है उनके समर्थन में कोई माकूल साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। क्योंकि इससे न्याय व्यवस्था में व्यवधान पैदा होता है और पीठासीन अधिकारी की विश्वसनीयता में बिना किसी कारण के कमी आती है। सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर व मनन करने पर यह परिलक्षित होता है कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोंपो की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति हस्व कायदा न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 23.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर